कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 11

पत्रांक– 1389/11–सी–FP/UP/Others35983/2018, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 11 ,2019

सेवा में,

वन संरक्षक,
सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में एच0पी0सी0एल0 मेरठ द्वारा एस.एच0–12ए, खतौली जानसठ मीरापुर–बिजनौर मार्ग कि0मी0 चौनेज संख्या 27.026 से 27.202 बांयी पटरी पर खसरा संख्या 1040 ग्राम सलारपुर, तहसील जानसठ, जिला–मुजफ्फरनगर में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के पहुंच मार्ग हेतु 0.160126 हे0 संरक्षित वन भूमि (विना वृक्ष पातन) के गैर वानिकी प्रयोग से सम्बन्धित प्रस्ताव।

सन्दर्भः– आपकापत्रांक–1955/14–10, दिनांक 07.01.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियॉं/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1– इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है, किन्तु गणन की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही दर से गणना कर संलग्न करें।

2– ऑनलाइन भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि गलत फीड की गयी है। अतः सही धनराशि फीड करे।

3– एक प्रस्ताव की हार्डकॉपी में सी0डी0 नहीं लगायी गयी है। अतः प्रस्ताव की हार्डकॉपी में सी0डी0 लगायें।

: उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियॉं तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉं इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–1389/11–सी–FP/UP/Others35983/2018,, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर।

2– श्री संजय नागपाल, विधिवत गठित न्यायवादी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन, लि0 मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय–मेरठ।

O/C

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।